GATT और TRIPS के प्रावधान

आलेख :डॉ. अनुराग शर्मा

एपिसोड–23

कल्लू: यार, त्रिलोक, यह दूध के दाम तो बहुत कम होते जा रहे हैं।

त्रिलोकः हां कल्लू, अपने इलाके में तो फिर भी ठीक है, पर संतोष के यहां तो सुना है कुछ किसानों ने गाय तक बेच दी।

कल्लू: यार सुना है, विदेशों से दूध और अनाज आने से यह हालत हो रही है।

त्रिलोकः अबे, यह विदेशी चैन लेने देंगे कि नहीं। अभी 57 साल पहले ही तो लौटे हैं फिर वापसी की तैयारी !

कल्लू: अरे अब वो जमाने गये, हम भी तैयार हैं, देखते हैं कैसे आते हैं अबकी बार।

त्रिलोकः यार शहर से प्रशान्त आया हुआ है, साथ में भाभी और मेधा–प्रयास भी, चलो उन्हीं के पास चलकर पूछते हैं कि यह विदेशी हमला क्या है ?

दीनू: अरे त्रिलोक कहां हमला कर रहा है अब ?

त्रिलोकः नमस्ते दीनू भाई, अरे यह विदेशी वस्तुओं से सारा बाजार भरा पड़ा है, अब हमारे माल को कौन पूछेगा।

कल्लू: हां दीनू, विदेशी दूध, अनाज, बिजली का सामान – यह सब अगर आने लगे और वह भी सस्ते दामों पर तो भारी दिक्कत हो जायेगी।

दीनू: अरे, ऐसे ही थोड़े न आ जायेंगे। अब इस सब पर नजर रखने के लिए विश्व व्यापार संगठन जो है।

त्रिलोकः 'विश्व व्यापार संगठन'। यह क्या है और तुझे कैसे पता।

कल्लू: क्या दीनू हमसे छुप–छुप कर, अबे जरा हमें भी तो बता विश्व व्यापार संगठन के बारे में।

दीनू: अरे भईया अभी तो इतना ही पता है, असल में कल मेधा–प्रयास अपने पिता जी और माता जी के साथ आये हैं न, उनके साथ दिल्ली से एक अर्थशास्त्री भी आये हैं, वह ही बता रहे थे।

त्रिलोकः अबे पूरी बात तो सुन लेता, थोड़ा सा सुनकर हममें बेकार में हीन भावना डालने आ गया।

दीनू: अरे भईया, पूरी बात सुनने ही तो जा रहा हूं, दादा जी ने कहा तुम दोनों को भी ले आऊं। तो बस तुम्हें बुलाने आया था। चलोगे।

कल्लू: चलोगे। अबे भाग कर चलेंगे, अपने मतलब की बात जो है। भई खेती–किसानी का मामला है, चल त्रिलोक।

त्रिलोकः हां भई चल....चल दीनू।

(दादा जी के घर का दृश्य)

प्रकाशः आओ, त्रिलोक, कल्लू। दीनू बड़ी देर कर दी।

दीनू: अरे यह दोनों इतनी आसानी से कहां आते हैं, 'विश्व व्यापार संगठन' के मसले पर दोनों अपने सर भिड़ा रहे थे, इसलिये थोड़ी देर हो गई।

त्रिलोकः और प्रकाश कैसे हो ?

प्रकाशः बिल्कुल ठीक, तुम सुनाओ।

कल्लू: अरे मेधा प्रयास, इस बार आने में बड़े दिन लगा दिये। आओ–आओ इधर आओ।

मेधा–प्रयासः नमस्ते चाचा जी।

मेधाः चलो अन्दर चलो दादा जी, दादी जी, मम्मी और डॉ. विक्रांत वत्स जी भी आप सबका इन्तजार कर रहे हैं।

प्रकाशः चलो– चलो।

(अन्दर जाने की आवाज) त्रिलोक–कल्लू : राम–राम दादा जी।

दादा जीः आओ त्रिलोक–कल्लू, कैसे हो। बहुत देर कर दी। अरे दीनू मुखिया जी नहीं आये।

(उसी वक्त मुखिया का प्रवेश)

मुखियाः अरे, आ गये दादा जी, आपका बुलावा मिले तो आना ही पड़ेगा।

दादा जीः मुखिया जी, कल्लू–त्रिलोक यह हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र के प्रोफेसर डॉ. विक्रांत वत्स जी हैं और ये विश्व व्यापार मुद्दे के विशेषज्ञ भी हैं।

दादा जीः अब देखो भई जमाना बदल रहा है, पूरी दुनिया जुड़ रही है। दूरिया भी कम हो रही है। ऐसे में सरकार जो नये विश्व व्यापार के समझौते कर रही है, उसके बारे में जानकारी लेना आवश्यक है।

प्रकाशः यह डॉ. साहब हमारे गांव और किसान की आमदनी का अध्ययन करने आये हैं। वह तो बातों–बातों में 'विश्व व्यापार संगठन' की बात आई तो मुझे लगा यह जानकारी सबसे बांटनी जरूरी है।

मुखियाः अरे दादा जी इस खुला व्यापार, विश्व व्यापार संगठन, इन सबने तो हमें तंग कर रखा है। मैंने इसके बारे में अखबारों में काफी पता है।

डॉ. विक्रांतः नहीं मुखिया जी, ऐसी बात नहीं है, हर चीज के कुछ फायदे और कुछ नुकसान होते हैं। विश्व व्यापार संगठन या WTO के भी इसी तरह अलग–अलग फायदे और नुकसान हैं और अपने हित की बातें चुनने के लिये हम स्वतंत्र हैं।

त्रिलोकः डॉ. साहब पहले हमें यह तो बताओ यह WTO बला क्या है ?

कल्लूः और इसके फायदे हैं तो क्या हैं ?

दादा जीः ठीक है, ठीक है, आराम से, पहले यह चाय–नाश्ता तो लो।

त्रिलोकः हां, ये लाओ। (सब हंसते हैं)

(कप–प्लेटों की आवाजें)

मुखियाः यह WTO जैसी संस्था हमारे भारत जैसे विकासशील देश या दूसरे गरीब देशों का क्या भला करेगी। यह तो अमीर देशों के व्यापारियों के लिये बनी है।

डॉ. नयनः नहीं, नहीं। यह WTO अमीर देशों से गरीब और विकासशील देशों के हितों की रक्षा का ही तो हथियार है। हां हमें यह हथियार इस्तेमाल करना आना चाहिए और सही इस्तेमाल के लिए, उसकी सही जानकारी बेहद आवश्यक है।

कल्लूः बिल्कुल सही कहा डॉ. साहब, वैसे मुझे याद है, कई साल पहले इसी विषय पर एक महिला ने गांव में आकर भाषण दिया था।

त्रिलोकः हां, किसी डंकल के बारे में।

प्रकाशः हां, त्रिलोक। वह डंकल प्रस्ताव के बारे में बता रही होंगी। असल में आर्थर डंकल, गैट अर्थात् 'जनरल एग्रीमेंट ऑन टेरिस एण्ड ट्रेड' यानी व्यापार और कर कानूनों पर व्यापक सहमति नामक संस्था के महानिदेशक थे। इन्हीं डंकल साहब ने 'मुक्त व्यापार' का प्रस्ताव रखा था। इस प्रस्ताव में सभी देशों को एक दूसरे से व्यापार करने की छूट देने के

साथ–साथ कनजल, कर आदि में भी छूट देने का प्रावधान है। सभी को कुछ नियमों में बांधा गया है जिससे सभी के अधिकारों की रक्षा हो सके और सब मिलकर आगे बढ़ें।

डॉ. नयनः डंकल प्रस्ताव की सहमति पर हस्ताक्षर के बाद एक नई संस्था का गठन किया गया जिसका नाम पड़ा WTO।

दादा जीः पर यह WTO गरीब देशों पर अपनी शर्तें थोपने पर क्यों लगा रहता है ?

प्रकाश : नहीं पिता जी ऐसा नहीं है, असल में विकसित देशों से प्रस्ताव आते हैं उन्हें मानना या न मानना हमारे पर निर्भर है।

दीनूः इतना आसान नहीं है, भईया और आजकल यह पेटेन्ट कानून भी तो है और जो अपनी चीज किसी और ने पेटेण्ट करा ली तो गई वह अपने हाथ से।

त्रिलोकः अरे राम, यह चंजमदज क्या बला है ?

डॉ. नयनः त्रिलोक जी, यह बला नहीं, अपने धन–सम्पदा की रक्षा का साधन है। चलो मैं शुरू से समझाता हूं। अब देखो ध्यान से सुनना। हमें WTO की पूरी कार्य प्रणाली समझनी जरूरी है। WTO जेनेवा, स्विट्जरलैण्ड में स्थित संस्था है जिसके भारत सहित 146 देश सदस्य हैं।

प्रकाशः और इन 146 सदस्य देशों में से 80 प्रतिशत विकासशील देश हैं। उरुग्वे दौर की बैठक के दौरान जब व्यापार के मुद्दे पर बहस के बाद इस WTO का गठन हुआ।

डॉ. नयनः इस संस्था का मुख्य उद्देश्य है, कि अन्तरराष्ट्रीय व्यापार के लिये नियत बनाना और लागू करना। जिसमें आम आदमी के जीवन यापन में बदलाव आ सके। वह भी पूरे विश्व की दौड़ में, साथ शामिल हो सके।

त्रिलोकः पर डॉ. साहब, विश्व तो बहुत तेज दौड़ रहा है, इसमें हम गरीब किसान कैसे बराबरी कर पायेंगे।

कल्लूः अबे तू थोड़ा चुप रह, पहले समझ तो ले, फिर सवाल करीयो, आप बताओ जी

दादा जीः यह WTO किस तरह के नियम बनाता है, और यह नियम किन–किन व्यापार के क्षेत्रों में लागू होते हैं।

डॉ. नयनः लगभग सभी क्षेत्रों में WTO के नियम लागू हैं, जैसे – कृषि क्षेत्र में, कपड़ा उद्योग, सेवा क्षेत्र, बौद्धिक सम्पदा के अधिकार, इसके अलावा लेबर सूं यानी कामगारों के अधिकारों के लिये नियम हैं और इसमें महिलाों के अधिकार को लेकर भी कुछ बातें हैं।

मेधाः यह नियम बनाता कौन है ?

प्रयासः हां और कौन देखेगा कि यह नियम माने भी जाते हैं कि नहीं।

प्रकाशः वाह तुम्हें भी मजा आ रहा है। चलो अच्छा है, यह सब तुम्हें समझना भी जरूरी है। असल में जितने भी सदस्य देश हैं वह मिलकर कुछ नियम तय करते हैं, और उन्हीं की जिम्मेदारी भी रहती है कि इन नियमों का पालन हो।

त्रिलोकः यह बौद्धिक सम्पदा का अधिकार और यह पेटेन्ट क्या है। आपने बताया नहीं।

डॉ. नयनः अब त्रिलोक जी, समझते हैं जैसे अपने यहां एक चावल की किस्म है, जो और कहीं नहीं पैदा होती। अब कल को कोई उसे ले जाये और अपने यहां पैदा कर ले और कहे यह उसका चावल है। यह सच तो नहीं है न। इसी तरह अगर कोई आपके द्वारा बनाई गई पेंटिंग, औजार, तकनीक, दवाई आदि को अपना कहे तो यह भी गलत है।

प्रकाशः बस इसी के लिये TRIPS यानी व्यापार संबंधी बौद्धिक सम्पदा के अधिकार को लाया गया है। इसमें आप अपनी चीजों को बचा सकते हैं। जैसे – पेंटिंग या चित्रकारी के लिए कॉपी राइट नियम, नई इजाद या पदअमदजपवद के लिए पेटेन्ट लॉ है, इसी तरह ब्रांड नेम्स होते हैं और उत्पाद के लोगो यानी उत्पाद की निशानी को ट्रेडमार्क के रूप में रजिस्टर्ड कराया जा सकता है।

दादा जीः इससे तो आपके विचारों की चोरी, सोच, शोध, बनावट, और प्रयोगों की चोरी से बचा जा सकेगा।

त्रिलोकः यह तो बढ़िया चीज है, यानी हमारी गाय–भैंस, बकरी, फसल सब हमारे।

डॉ. नयनः हां, भई यह कोई ले न जाये इसलिये तो पेटेन्ट कानून बना है। भारत के डॉ. आनन्द चक्रवर्ती ने ऐसे जीवाणु खोजे जो समुद्र में फैले हुए तेल को चट कर जाते हैं, तो उन जीवाणुओं पर उनका हक है यानी उनका पेटेन्ट है। अब कोई बिना इजाजत इन जीवाणुओं का इस्तेमाल करेगा, तो उसे डॉ. आनन्द चक्रवती को हर्जाना देना पड़ेगा।

दीनूः यानी जिसकी इजाद उसी का ही हक। भई वाह।

कल्लूः चलो भई यह त्रिलोक पर मेरा पेटेन्ट हो गया अब कोई इसे कुछ नहीं कहेगा यह बस मेरा काम करेगा।

त्रिलोकः अबे हममें दम तो है कि कोई हमारा पेटेन्ट ले, तेरा तो कोई रजिस्ट्रेशन भी न करवाये।

(सब हंसते हैं)

प्रकाशः कल्लू पेटेन्ट लेने के लिये पेटेन्ट ऑफिस में अर्जी देनी पड़ती है। पूरी तरह जांच के बाद अगर तुम्हारा मालिकाना हक सही साबित होगा तभी पेटेन्ट मिलेगा और इसमें फीस भी लगती है।

दीनूः अगर आविष्कारों पर पेटेन्ट का कोई गलत फायदा उठाये तो ?

डॉ. विक्रांतः बहुत अच्छा सवाल किया, असल में अविष्कारों पर 20 साल के लिये ही पेटेन्ट मिलता है। पर जिसे पेटेन्ट मिला है वह अपने अधिकारों का दुरुपयोग करे, जैसे दाम बढ़ाना, आदि तो सरकार किसी दूसरी कंपनी या संस्था को उसके अधिकार दे सकती है, cumpulsary license के द्वारा, हां पर इसमें पेटेन्ट धारक के हित को ध्यान में रखना जरूरी है।

प्रशांत पेटेन्ट कानून में पेटेन्ट धारी को व्यापार में उसके हक का सही मूल्य मिल सके इसलिए यह कानून लाया गया है।

दादा जीः यह पेटेन्ट फसलों और पौधों पर भी लागू होगा, है न।

डॉ. नयनः हां, दादा जी यह सब भी Plant patent अधिनियम के अन्तर्गत आता है, अब अगर कोई पौधा किसी क्षेत्रा के जन समुदाय द्वारा ही बचाया गया है, और वह प्रजाति और कहीं नहीं मिलती है तो उस प्रजाति का पेटेन्ट वह ले सकते हैं। इसी तरह संकरण आदि के द्वारा जो नई किस्म के या बीज तैयार होते हैं उनका भी पेटेन्ट लिया जाता है। इसके लिए एक अन्तरराष्ट्रीय संस्था Internation Union for protection of new varieties of plant भी काम कर रही है।

प्रकाशः दादा जी, गाय या दूसरे जानवरों का भी पेटेन्ट मिल जाता है। वैज्ञानिक नई नस्लों को तैयार कर उनका भी पेटेन्ट ले रहे हैं।

मेधाः क्या हम किसी भी चीज का पेटेन्ट ले सकते हैं।

प्रयासः और झूठ बोल कर या धोखे से हमारी नस्लों या किस्मों का पेटेन्ट ले लिया तो ?

डॉ. नयनः भई, यह सवाल है जो सबको परेशान कर रहा है। इसलिये जरूरी है, हम अपने हजारों वर्षों से पैदा की जा रही किस्मों का, चाहे वह धान की की हो या गेहूं आदि की सबका जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन जरूर करवायें। कहीं ऐसा न हो कोई उसका गलत फायदा उठा ले।

कल्लूः अपने त्रिलोक ने, तो कई आविष्कार किये हैं, जैसे अपने ट्रैक्टर में रेडियो के साथ टी.वी. भी लगा रखा है। इसका फायदा भी है, अपने खेत की जुताई करने जाता है और टीवी देखते–देखते मेरे खेत की जुताई कर डालता है, तो इसके आविष्कार को मानव कल्याण के क्षेत्रा में पेटेन्ट मिल सकता है क्या ?

(सब हंसते हैं)

त्रिलोकः अबे कल्लू, एक बार गलती से आ गया था, पर तूने भी तो मुझे बताया नहीं की खेत तेरा है।

कल्लूः अबे मेरा दिमाग खराब है क्या अपना नुकसान खुद ही करूं। जब तू free में दांत दिखा–दिखा कर जुताई कर रहा था तो मैं क्यों रोकता।

(सब हंसते हैं)

दादा जीः यह बौद्धिक सम्पदा का कानून तो अच्छा है पर इसका अगर उल्लंघन हो तो?

डॉ. विक्रांतः इस तरह की बातों का WTO में पूरा ध्यान रखा गया है, उल्लंघन करने वाला अगर कोई व्यक्ति है, या कोई कंपनी आदि है तो उस पर हर्जाना ठोका जा सकता है या फिर हर देश अपने कानून के हिसाब से सजा दे सकता है या नये कानून बना सकता है। इसी तरह यदि कोई देश WTO की शर्तों का पालन न करे तो उस पर प्रतिबंध लगाये जा सकते हैं। जो व्यापारिक प्रतिबन्ध भी हो सकते हैं या किसी तरह की मदद आदि पर भी प्रतिबंध हो सकते हैं।

मुखियाः अब जिसने दवाइयों पर पेटेन्ट ले रखा है वह तो उसे महंगी बेचेगा ही, क्योंकि व्यापारी को तो मुनाफे से मतलब है न कि किसी की तकलीफों से।

प्रकाशः यह बात WTO में भी उठाई गई थी और नवम्बर 2001 में सभी सदस्यों पर इस बात पर सहमति हुई कि हर देश को अपनी जनता के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने का अधिकार है। इसी वजह से जो बहुत गरीब देश हैं, जिन्हें WTO में समेंज developed countries कहा गया है उन्हें 2016 तक दवाइयों के लिए पेटेन्ट कानून से छूट दी गई है।

कल्लू अब अगर WTO का कोई नियम या प्रस्ताव किसी सदस्य देश जैसे भारत को पसन्द न आये तो फिर भी क्या उसे मानना जरूरी है।

डॉ. विक्रांतः नहीं कल्लू, जैसे मैंने पहले भी कहा था अपने देश और लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए आप किसी भी प्रस्ताव को ठुकरा सकते हैं। सभी सदस्य देशों के पास veto power है, यानी किसी भी प्रस्ताव को अगर 146 में से एक देश ने भी ठुकरा दिया तो वह प्रस्ताव खारीज हो जायेगा।

दादा जीः इसका मतलब हर प्रस्ताव को पास होने के लिये सभी सदस्यों का समर्थन चाहिए। भई यह तो सही मायने में स्वस्थ लोकतंत्रा का स्वरूप है।

मुखियाः अब, बड़े देश कुछ प्रस्ताव रखें तो, किसी छोटे या विकासशील देश की क्या औकात है ।

प्रकाशः यही तो मुखिया जी, WTO में सभी को बराबर के हक हैं। अब कृषि मुद्दे पर ही लीजिए। कृषि मुद्दे पर अभी आम सहमति बननी बाकी है। विकसित देशों की तमाम कोशिशों के बावजूद विकासशील देश एक जुट हो कर विरोध कर रहे हैं।

दादा जीः किन बातों का विरोध कर रहे हैं ?

डॉ. विक्रांतः अरे दादा जी सस्ते आयात का, जो विकसित देशों से आता है।

त्रिलोकः अरे, यही तो मैं और कल्लू बात कर रहे थे।

कल्लूः हां, सस्ते दूध के आयात की वजह से बाजार में दूध के भाव गिर गये, और लोगों को अपनी गाय–भेंसे बेचनी पड़ी।

मुखियाः अरे दूध ही क्यों, पिछले दिनों वो खिलौने की बड़ी फैक्टरी नहीं बंद हुई, और इसके अलावा, क्या किसान कम नुकसान उठा रहा है। गन्ना किसान की हालत देखो।

गेहूं, धान सभी का उत्पादक सही दाम न मिल पाने की वजह से परेशान है।

दीनूः डॉ. साहब आप कहते हैं कि कृषि को लेकर सभी बातचीत जारी है, फिर यह सस्ते आयात कैसे ?

प्रकाशः असल में दीनू WTO के सदस्य सभी देशों को विश्व व्यापीकरण, उदारीकरण और निजीकरण जैसे 'ढांचागत परिवर्तन' करने पड़े। WTO की शर्तों के अनुसार सभी सदस्य देशों में अपनी टैरिफ यानी निर्यात पर लगने वाले कर में कमी करते हुए पूरी तरह खत्म करना होगा। पर विदेशों में किसानों और डेयरी किसानों को भारी subsidy दी जाती है।

त्रिलोकः यह subsidy क्या होता है प्रकाश भाई। क्या वही जो हमारी सरकार भी यूरिया आदि पर देती है, यानी रियायत।

डॉ. विक्रांतः बिल्कुल वही त्रिलोक जी। पर हमारे subsidy indirect है, यानी सीधे किसानों को हीं पहुंचती । जबकि यूरोप और अमेरिका के किसानों को सीधे बीमुनम पहुंचते हैं और वहां subsidy भी बहुत ज्यादा दी जाती है, 60 प्रतिशत से भी ज्यादा

दादा जीः हैं, इतनी ज्यादा। तभी तो मैं सोचूं अमेरिका, आस्ट्रेलिया जैसे महंगे देशों का गेहूं हमारे देश में इतना सस्ता कैसे।

दीनूः जब इतनी रियायत मिलेगी तो 50–60 प्रतिशत दाम में तो कमी आयेगी ही।

डॉ. विक्रांतः बस इसी का तो विरोध हो रहा है। कानकून में अपने देशों ही की कृषि पर कोई समझौता नहीं हो पाया। यह subsidy का मुद्दा ही खास मुद्दा है। इसी वजह से विकसित देशों का महंगा अनाज, दूध, कृत्रिम रूप से सस्ता हो जाता है।

प्रकाश :और जब यह बनावटी रूप से सस्ता माल बाजार में आता है तो यह लड़ाई बराबर की नहीं रह जाती है। इसमें वो गरीब देशों का किसान मुकाबले की सोच ही नहीं सकता। इसलिये विकसित देशों पर अपनी `नइेपकल खत्म करने के लिये जोर डाला जा रहा है।

त्रिलोकः हमारी सरकार को मानना भी नहीं चाहिए, नहीं तो किसान तो खत्म ही हो जायेगा।

दादा जीः इस तरह की लड़ाई में तो मेरे ख्याल से जिस देश के पास जैव–विविधता ज्यादा है, उसे फायदा भी ज्यादा है।

डॉ. विक्रांतः हां दादा जी, जैव विविधता में जो देश धनी होगा वही ज्यादा पेटेन्ट ले पायेगा। अगर फसलों के हिसाब से देखें, तो लगभग सभी किस्मों का पेटेन्ट लिया जा रहा है। भारत जैसे देश में फसलों, पौधों की काफी विविधता है। हम पेटेन्ट ले कर, किस्मों के मामलों में

काफी बढ़त बना सकते हैं और जिन नई किस्मों में हमारी पारंपरिक किस्मों के गुण डाले जायेंगे, उन सबका फायदा हमें भी मिलेगा।

प्रकाशः इसीलिये जीन बैंक आदि बनाये जा रहे हैं, जहां हमारे देश की सम्पदा, यह पौधे, पशु–पक्षी सभी का संरक्षण किया जा रहा है।

मेधाः यानी सारी जैवविविधता को सुरक्षित रखा जा रहा है।

प्रयासः यह जैवविविधता तो लगता है, सभी सवालों का जवाब है।

डॉ. विक्रांतः बच्चों तुम दोनों तो बहुत होशियार हो। तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, पर इसके साथ–साथ हमें होशियार रहने की भी जरूरत है। हमें अपने किसानों को ज्यादा जागरूक करना होगा जिससे वे WTO जैसे मुद्दों को समझ पायें और अपने हितों और अधिकारों की रक्षा कर पायें।

प्रकाशः हां, हमें अपने बीजों और किस्मों को बचाना होगा।

त्रिलोकः अरे भईया यह डंकल जब दिल्ली आये तो आप रोक लो यहां आयेगा तो हम देख ही लेंगे।

(सब हंसते हैं)

डॉ. विक्रांतः अरे त्रिलोक जी डंकल तो फराना हो चुका अब तो सब कुछ यह WTO है और हम इसके सदस्य हैं। तो बस हमें अपने आंख, कान और दिमाग खुले रखने हैं, अपने अधिकारों के लिए लड़ना है। सरकारें तो ॅज्ञ में यह करती ही हैं, हमें भी अपनी सरकारों को हर जानकारी से अवगत कराये रखना है।

मुखियाः जैवविविधता का बचाना तो जरूरी है, यह तो समझ आया कि यह खा सुरक्षा क्या है।

प्रकाशः मुखिया जी, खाद्य सुरक्षा तो असल में तीसरी दुनिया के सभी देशों की चिन्ता का विषय है। ताजा आंकड़े बताते हैं कि एशिया–पैसिफिक में करीब 50 करोड़ लोग भुखमरी के शिकार हैं। हालांकि विश्व की बड़ी–बड़ी कम्पनियां और विकसित देश अपनी ज्यादा पैदावार वाली फसलों का हवाला देते हुए कहते हैं कि हम आपको खाद्य सुरक्षा देंगे। पर हर देश को अपनी कृषि और दूसरे खाद्य उत्पाद पैदा करने का हक है। यह बात WTO में भी उठाई जा रही है।

दादा जीः और वैसे भी किसी दूसरे देश पर खाने के लिये निर्भर नहीं हो सकते हैं और न ही होना चाहिए। अपना पैदा करो और अपना खाओ।

कल्लूः बहुत बढ़िया दादा जी, यह बात कोई अपने त्रिलोक को समझाये, यह अपना पैदा करता है, अपना खाता है और दूसरों का भी खा जाता है।

त्रिलोकः क्या कल्लू कल रात को तेरे यहां 8 रोटी और आज सुबह थोड़ी सी खीर खा ली तो तू ऐसा बोल रहा है।

कल्लूः पहली बात, कि खीर थोड़ी–सी नहीं, पूरे घर के लिये थी जो तू अकेला चट कर गया और दूसरी बात भई मुझे तेरे खाने से कोई शिकायत नहीं पर, यह सब तूने तब खाया, जब कि तू घर से पहले से ही खा कर आया था। इसलिए तू गांव की खाद्य सुरक्षा के लिये बहुत बड़ा खतरा है।

(सब हंसते हैं)

दादा जीः प्रकाश बेटा, अब WTO के तो हमें साथ ही रहना पड़ेगा, पर अगर सरकार कोई गलत निर्णय ले ले तो क्या हम कुछ नहीं कर सकते।

डॉ. विक्रांतः दादा जी, कई गरीब देश, विकसित देश के दबाव में आ जाते हैं क्योंकि WTO की बैठक में तो देशों के मंत्री ही रहते हैं, थोड़ा दबाव तो बन ही जाता है। पर हर देश में किसान संगठन है, जब संगठन है, जो सरकार की गलत नीतियों का विरोध करते हैं। इसलिये तो मैं कहता हूं, हमें जानकारी लेना बहुत जरूरी है ैर अगर कोई गलत फैसला हो तो एक जुट हो कर विरोध करें।

मुखियाः आपने पौधे के पेटेन्ट की बात की थी, कई देश तो हमारे यहां से पौधे ले जाकर पेटेन्ट भी करा चुके हैं, या करा रहे हैं, इसका कोई इलाज है ?

प्रकाशः मुखिया जी इस Biopiracy यानी जैव संसाधनों की चोरी कहते हैं। यह भी WTO के साथ ही उभरी एक समस्या है। इसके लिये हर देश की सरकार को कड़े कानून बनाने पड़ेंगे और लोगों को भी सचेत रहना होगा।

डॉ. विक्रांतः असल में पूरी दुनिया में जैविक पदार्थों का चलन बढ़ा है जैसे जैविक खेती, आदि। इसी तरह हर्बल सौंदर्य प्रसाधनों की मांग भी बढ़ी है। और हमारे देश में ऐसी कई पौधों की प्रजातियां हैं जो सदियों से अपने प्राकृतिक रूप से कॉस्मेटिक यानी सौंदर्य प्रसाधनों में इस्तेमाल की जाती है, जैसे काला जीरा मुंह के स्वास्थ्य के लिये, हल्दी– घाव, त्वचा की बीमारियों के लिये, आंवला – ग्रिहताकुमारी यानी Aloevera आदि यह सब हमारे देश की ही धरोहर है, पर हमारे जागरूक न होने की वजह से इनका अलग–अलग इस्तेमाल के लिये पेटेन्ट ले लिया गया है। पर अब इन सब पर बहस शुरू हो गई है।

मेधाः यानी अगर हमें जानकारी न हो तो हमें इस WTO का काफी नुकसान हो सकता है।

प्रयासः हमें तो अब हर समय जागरूक रहना चाहिये और इन सब समझौतों को अच्छी तरह समझना चाहिए।

दादा जीः हां, बच्चों, भोले–भाले होने का हम पहले भी नुकसान उठा चुके हैं। अब हमें पूरे विश्व में क्या हो रहा है, यह समझना पहले से ज्यादा जरूरी है।

दीनूः हां दादा जी।

त्रिलोकः दादा जी, आप चिन्ता न करो, यह प्रकाश और डॉ. विक्रांत जैसे लोगों के रहते, यह देश जागरूक रहेगा, चाह WTO हो या और कुछ।

कल्लूः हां, अपना देश 65 करोड़ किसान या खेती–बाड़ी से जुड़े लोगों से भरा है। यहां केहालात पूरे विश्व से अलग हैं। यहां के किसान अब जागरूक हैं और हर समस्या से लड़ने को तैयार हैं।

डॉ. विक्रांतः जब गांव जागश्त है तो फिर देश में कोई समस्या नहीं आ सकती।

दादा जीः डॉ. साहब आज आपने विश्व व्यापार संगठन के बारे में काफी अच्छी जानकारी दी।

मुखियाः हां और बहुत सारी आशंकाओं को भी दूर किया।

प्रकाशः जी डॉक्टर साहब इस बातचीत के लिये हम हमेशा आभारी रहेंगे।

कल्लूः पर यह त्रिलोक हमेशा भारी रहेगा, देखो फिर मेरे घर की ओर खिसक रहा है। अबे रुक मुझे तो आने दे।

(त्रिालोक की दूर से आवाज)

त्रिालोकः इस जानकारी के लिये शुक्रिया डॉक्टर साहब। मैं जरा कल्लू के घर चलूं सुबह इसके यहां पनीर बन रहा था। देखूं खाने को क्या तैयार है। अच्छा सबको राम–राम।

(सब हंसते हैं)